	लाख अथवा दो रू0 5 लाख अथवा तीन कार्य रू0 4 लाख की लागत का संतोषजनक रूप से पूर्ण होना आवश्यक है। रू0 5 लाख/रू0 4 लाख के लागत सीमा के कार्यो में एक कार्य सरकारी विभाग/उपक्रम/संस्था/निगमों के होना आवश्यक है। अथवा लेबर दरों पर पिछले सात वर्षो में कुल रू0 4 लाख के संतोषजनक रूप से कराये गये कार्य भी मान्य होगें।	

3–2(संशोधित)

प्रत्येक श्रेणी हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्टाफ का होना आवश्यक हैः–

श्रेणी	ग्रेजुएट इंजीनियर	डिप्लोमा होल्डर	अन्य बिन्दु
एए	1	1	किसी भी प्रकार के विद्युत कार्य कराने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के पास मुख्य विद्युत निरीक्षक, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त 'क' श्रेणी का अनुमोदित वैध लाइसेंस होल्डर का होना आवश्यक है। विद्युत कार्य प्रारम्भ के पूर्व सम्बन्धित परियोजना/अधिशासी अभियन्ता को लिखित रूप से अवगत कराते हुये आवश्यक विवरण एवं लाइसेंस उपलब्ध कराना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
ए	1	1	–तदैव–
बी	–	1	–तदैव–
सी	–	–	–तदैव–
डी	–	–	–तदैव–
ई	–	–	–तदैव–

टिप्पणीः

1. 10/– रूपये के नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर देना होगा।

2. श्रेणी एए, ए एव बी के पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी स्टाफ होने चाहिए जो भलि भांति मानचित्र पढ़ने में, कार्यो की प्लानिंग एवं सम्पादन में, निविदा निपुणनता से भरने में, बिल बनाने में तथा कार्यो के पर्यवेक्षण में सक्षम हो।

3–3 **विभिन्न श्रेणी हेतु** आवश्यक **मशीनरी, टूल्स एवं प्लान्ट्सः–**

निर्माण कार्यो पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूचीः–

क्र.	मशीनरी का नाम	श्रेणी				
		एए एवं ए	बी	सी	डी	ई
1	कंकरीट मिक्सर	2	1	1	–	–
2	वाइब्रेटरर्स	3	2	1	1	–
3	पम्पस	2	1	1	–	–
4	डीजल विनचिस 65 टन क्षमता का	2	1	–	–	–
5	एक्सकेवेटर–कम–लोडर, 1/2 से 1 मी^{3} की क्षमता वाले (सेतु के लिए)	4	2	–	–	–
6	डीजल जनरेटर सैट 25कि0वाट (सेतु के लिए)	1	--	–	–	--

7	ट्रैक्टर–ट्रॉली	2	1	–	–	–
8	रोड रोलर केवल सड़क के लिए	2	–	–	–	–
9	थ्योडोलाइट	1	1	–	–	–
10	लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	2	1	–	–	–
11	बिटुमिन बॉयलर विद स्प्रेयर	1	–	–	–	–

टिप्पणीः रू0 10/– के नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर देना होगा।

3–4(i) ठेकेदारों द्वारा अपने अनुभव का विवरण निम्नानुसार देना होगाः–

प्रारूप– पिछले छः वर्षो में पूर्ण किये गये समस्त निर्माण कार्यो का विवरण

ठेकेदार का नाम–

क्र.	विभाग/खण्ड का नाम पता	कार्य का नाम	लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि		हस्तान्तरण की तिथि	प्रमाण पत्र संलग्न की स्थिति
					अनुबन्ध	वास्तविक		
..								
..								
..								
..								
..								

3–4(ii) निर्माणाधीन समस्त कार्यो का विवरणः–

प्रारूप–

क्र.	विभाग/खण्ड का नाम पता	कार्य का नाम	लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण की सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित तिथि	सम्पादित कार्य की लागत	प्रमाण पत्र (संलग्नक की स्थिति)
..							
..							
..							
..							
..							

चैप्टर–4

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम एवं शर्ते

(पूर्व वर्णित चैप्टर–1 से चैप्टर–3 तक के प्रावधानों के अग्रतर)

4–1 भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यो हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु अधिकृत हैः–

एए श्रेणी		कोई सीमा नहीं
ए श्रेणी	रू0	500.00 लाख तक
बी श्रेणी	रू0	200.00 लाख तक
सी श्रेणी	रू0	75.00 लाख तक
डी श्रेणी	रू0	40.00 लाख तक
ई श्रेणी	रू0	10.00 लाख तक

4–2 रू0 500.00 लाख से अधिक कार्यो हेतु निगम में पंजीकृत एए श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें परन्तु अपंजीकृत ठेकेदार के सफल निविदादाता होने के स्थिति में अनुबन्ध से पूर्व उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसी निविदाएं टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी। विभाग द्वारा अन्य श्रेणियों में भी टू बिड सिस्टम का निर्णय निर्माण कार्य की प्रकृति एवं आष्यकता के अनुसार लिया जा सकता है।

4–3 निर्माण कार्यो पर 3–2 के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।

4–4 निर्माण कार्यो पर 3–3 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई मशीनरी विभाग द्वारा दी गयी है तो उसका किराया निर्धारित दरों पर बिल से काटा जाएगा।

4–5 ठेकेदारों को कार्य की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत धनराशि अथवा जैसा भी निविदा सूचना में अंकित हो, की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 (राष्ट्रीय बैंक) जो उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के पक्ष में बंधक हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ जमा करानी होगी।

4–6 पंजीकृत ठेकेदारों को उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार मुख्य अभियन्ता का होगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों की सूची को विभागीय वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

4–7 आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) यूपीआरएनएसएस में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन में पिता–पुत्र, भाई–बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्टकजिन, सास–श्वसुर, दामाद, बहनोई, पति–पत्नी, माता, मामी, मौसा, चचेरे भाई–बहन, मौसेरे भाई–बहन आदि शामिल है। यदि पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

4–8 निविदा प्रपत्र मूल्य निम्न प्रकार अथवा भविष्य में संशोधन की स्थिति में तद्नुसार देय होगाः–

श्रेणी	निविदा मूल्य
एए	रू. 10,000.00
ए	रू. 8,000.00
बी	रू. 5,000.00
सी	रू. 4,000.00
डी	रू. 3,000.00
ई	रू. 2,000.00

4–9 हैसियत प्रमाण पत्र परिशिष्ट–अ के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त कर देना होगा।

4–10 आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र परिशिष्ट संख्या–ब पर संलग्न निर्धारित प्रारूप पर एवं वर्तमान निवास स्थान का पता सत्यापित कराकर देना होगा।

4–11(i) प्रमाण पत्रों के साथ चस्पा की जाने वाली फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिए।

4–11(ii) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी।

4–12 सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेगें जो उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।

4–13 उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय, अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत जो कोई एक व्यक्ति ही करेगा, का शपथ पत्र देना होगा।

4–14 पंजीकरण शुल्क संलग्न 2–1(ii) के अनुसार देय होगा। पंजीकरण तीन वर्ष हेतु मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के पक्ष में जारी किया गया हो, द्वारा देय होगी।

4–15 वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार परियोजना अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (अधिकार क्षेत्र के अनुसार) का होगा।

4–16 पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में निहित है।

4–17 पंजीकृत ठेकेदार को उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा भविष्य में भी समय--समय पर जारी किये गये आदेश मानने होगें।

4--18 जो भी व्यक्ति अथवा संस्था ठेकेदारी का कार्य करना चाहेगी उन्हे स्वघोषणा पत्र संलग्न के अनुसार रू0 100/– के स्टैम्प पेपर पर सत्यापित कराकर किया जाएगा। यह अनुबन्ध का अनिवार्य अंग है और बिना इसके कोई भी ठेका स्वीकार नहीं होगा। (परिशिष्ट–'स')

पंजीकरण आवेदन के साथ भी इसे संलग्न करना होगा, जो पारा सुसंगत नहीं होगे, उनके सामने "लागू नहीं" लिखा जाएगा।

4–19 सभी पंजीकृत ठेकेदारों को उस क्षेत्र के आयकर अधिकारी को प्रत्येक वर्ष में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत आयकर क्लियरेन्स प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनका कर निर्धारण होता हो। आयकर क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रत्येक वर्ष में निर्धारित तिथि के एक माह के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता/अधिशासी